नी, बिहार में स्वयंसेवी संगठनों को विदेशी चंदे

675. **श्री रामदेव भंडारी : क्या गृह** मंत्री यह की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत दो वर्षों और चालू वर्ष में मधुबनी, र की स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा विदेशी संस्थाओं से की गई अथवा प्राप्त की जाने वाली सहायता राशि ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सहायता करने वाली ाओं और सहायता राशि कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ख) स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा उपयोग की जा रही की निगरानी किस प्रकार की जाती है; और

(ग) इन संस्थाओं के विरुद्ध राशि का दुरुपयोग किए की स्थिति में क्या कार्रवाई की जाती है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी): (क) बनी, बिहार में 28 स्वयं-सेवी संगठनों के नामों का विवरण संलग्न है (नीचे देखिए)। इन संगठनों ने ीण विकास, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, कानूनी ायता, अनाथों की देखभाल, इत्यादि जैसे प्रयोजनों के ए वर्ष 1995-96 में 71,58,253/- रुपये, 96-97 में 39,02,616/- रुपये तथा 1997-98 के ान 69,96,698/- रुपये की कुल विदेशी अभिदाय श प्राप्त करने की सूचना दी है।

(ख) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 76 के तहत पूर्व अनुमति प्राप्त पंजीकृत संगठनों को, येक वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त और उपभोग की गई देशी अभिदाय की राशि की सूचना, जिसे किसी चार्टर्ड काउंटेंट द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित किया गया हो, न्द्र सरकार को भेजना अपेक्षित होता है। केन्द्र सरकार ो इस अधिनियम के अधीन ऐसे संगठनों के खातों थवा रिकार्डों का निरीक्षण/किसी भी बही खाते की खा परीक्षा करवाने के आदेश देने के अधिकार प्राप्त ।

(ग) कार्रवाई में शामिल है—संगठन को र्व-अनुमति वाली श्रेणी में रखना, उसे विदेशी अभिदाय ाप्त करने से रोकना, उसके बैंक खातों को फ्रीज करना था न्यायालय में उस पर मुकद्मा चलाना।

विवरण

क्रम सं०	मधुबनी, बिहार के संगठनों के नाम
1.	घोघरदीहा प्रखण्ड स्वराज्य विकास संघ।
2.	ग्राम विकास परिषद।
3.	ग्रामीण सेवा।
4.	कृति सामजिक शैक्षणिक और सांस्कृति विकास संस्थान।
5.	महिला विकास सदन।
6.	सामाजिक विकास संस्थान।
7.	सोसायटी फार रूरल डेवलपमेंट।
8.	सामाजिक शैक्षणिक विकास केन्द्र।
9.	अरूणोदय रचनात्मक परिषद।
10.	अदिती खादी ग्रामोद्योग बुनकर संघ।
11.	अभिज्ञान दिशा।
12.	आजाद खादी ग्रामोद्योग बुनकर सेवा संघ।
13.	बिहार सेवा समिति।
14.	बौद्ध शिक्षण कल्याण समिति।
15.	फुल-पराश प्रखण्ड सर्वोदय विकास संस्थान।
16.	ग्रामीण समग्र सेवा संस्थान।
17.	मधुबनी जिला समग्र विकास संस्थान।
18.	मिथिला कलाकार संघ।
19.	मिथिला संस्कृत संघ।
20.	महिला संस्कृत संघ।
21.	प्रखण्ड लोक् विकास समिति।
22.	राष्ट्रीय ग्रामीण विद्यापीठ।
23.	सैल्फ एम्पलायड वूमेंस एसोसियेशन।
24.	21वीं सैंचुरी रूरल डैवलपमैंट संस्थान।
25.	विद्यापर्तो सामाजिक एवं शिक्षण विकास संस्थान।
26.	हस्तकला विकास केन्द्र।
27.	आवासीय शिशु विद्यालय।
28.	कमलेश्वरी अंतोदय आश्रम।

Antique Theft

2676. MISS MABEL REBELLO:
SHRI RAJNATH SINGH "SURYA":

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that antique theft is increasing in the country;

(b) if so, the details thereof in terms of number and worth in rupees for the last five year; and

(c) the steps being taken to check this pehnomenon?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) and (b) Availbale information in regard to cases of theft of antique/idols reported during the last five years is given below:—

Year	No. of Cases
1993	389
1994	307
1995	280
1996	349
1997	199

(Provisional)

The monetary value of antique is not generally assessed.

(c) Measures have been taken by the Archaeological Survey of India in concert with the enforcing agencies like the Directorate of Revenue Intelligence, Customs and State Governments to check the theft of antiquities by intensifying checking at customs exit points, as well as by strict enforcement of the Antiquities and Art Treasures Act 1972. Armed Guards have also been deployed at the selected centrally protected monuments and museums under the Arch-eological Survey of India.

Crime in U.P.

2677. SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to refer to reply to Unstarred Question No. 2324 given in the Rajya Sabha on the 7th July, 1998 and state the latest available data with Government on numbers of murders, rape and killings in Police encounters in U.P. since May, 1998?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): According to available information, there were 3980 murders and 514 cases of rape in Uttar Pradesh during the period May 1998 to August 1998. 31 persons were killed in police firing in the State during the said period.

Deportation of Chakmas to Bangladesh

2678. SHRI RAGHAVJI:
PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the progress made so far in regard as deportation of Chakmas to Bangladesh;

(b) the number of Chakmas of North-Eastern States who have been conferred Indian Citizenship; and

(c) how many are yet to be conferred Indian citizenship?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) The process of repatriation of Bangladesh Chakmas from Tripura has already been completed.

(a) and (c) Indigenous Chakmas in the North Eastern States are Indian Citizens. 14,888 Chakma/Hajong refugees from erstwhile East Pakistan (Now Bangla Desh) were settled in Arunachal Pradesh between 1964 and 1969. They/their descendents are yet to be conferred

भारत और पाकिस्तान के गृह मंत्रालयों के अधिकारियों के बीच वार्ता

2679. श्री ईश दत्त यादव:
प्रो॰ रामगोपाल यादव:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 13 नवंबर, 1998 को भारत और पाकिस्तान के गृह मंत्रालय के आला कर्मचारियों के बीच कोई वार्ता हुई थी;